



ई-टैण्डर अल्पकालीन निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद सरधना (मेरठ) स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु प्राप्त धनराशि से नगर के विभिन्न स्थानों पर सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराना चाहती है। निविदाओं का विवरण एवं प्रपत्र उत्तर प्रदेश ई-प्रिक्योरमेंट की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> से प्राप्त किये जा सकते हैं।

कार्यों की निविदा स्केन अर्नेस्ट मनी एवं निविदा शुल्क की मूल प्रति एवं अन्य प्रमाण पत्र कार्यालय नगर पालिका परिषद, सरधना में जमा करने की तिथि	दिनांक 23.01.2018 दोपहर 02:00 बजे तक					
कार्यों की निविदा अपलोड करने की तिथि	दिनांक 15.01.2018 से दिनांक 23.01.2018 दोपहर 12 बजे तक					
कार्यों की निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 23.01.2018 को अपरान्ह 03:00 बजे के बाद					
क्र० सं०	कार्य का विवरण	आंकलन धनराशि	धरोहर धनराशि	निविदा प्रपत्र शुल्क	18% GST	समयावधि
1	4 बायो सामुदायिक शौचालय ब्लॉक (20 सीट्स) का निर्माण	23,66,000	2,36,600	2400	432	3 माह
2	23 सामुदायिक शौचालय ब्लॉक (114 सीट्स) का निर्माण	1,02,92,500	10,29,250	11,000	1980	3 माह

नोट :-

- क्रमांक 1 पर अंकित बायो सामुदायिक शौचालय के लिए अनुभवी निर्माण एजेन्सी, जो डी0आर0डी0ओ0 का टी0ओ0एफ0 होल्डर हो अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि हो ही निविदा में प्रतिभाग कर सकता है।
- क्रमांक 2 पर अंकित सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु केवल नगर पालिका परिषद, सरधना में निर्माण में पंजीकृत ठेकेदार ही प्रतिभाग कर सकता है।
- उक्त से संबंधित सभी शर्तें उपरोक्त वेबसाइट व पालिका की वेबसाइट www.nppsardhana.com पर अंकित है। शर्तों का पूर्णतः पालन करने पर ही निविदा स्वीकृत हेतु अर्ह होगी।

(विपिन शर्मा)
लिपिक/अधिकृत लेखा कर्मी
नगर पालिका परिषद
सरधना (मेरठ)

(निरूपमा प्रताप)
अधिशाली अधिकारी
नगर पालिका परिषद
सरधना (मेरठ)



कार्यालय नगर पालिका परिषद, सरधना (मेरठ)

(4 बायो सामुदायिक शौचालय ब्लॉक (20 सीट्स) व 23 सामुदायिक शौचालय ब्लॉक (114 सीट्स) का निर्माण कार्य हेतु पालिका पत्रांक 819 दिनांक 02.01.2018 द्वारा विज्ञापित निविदा में उल्लिखित शर्तों के साथ-साथ अन्य शर्तों)

1. सशर्त निविदायें मान्य नहीं होंगी और स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।
2. किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अध्यक्ष/अधिकांसी अधिकारी नगर पालिका परिषद सरधना में निहित होगा। निविदा शुल्क धनराशि अधिकांसी अधिकारी नगर पालिका परिषद सरधना के पदनाम से बैंक ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी निविदा के साथ अपलोड करना आवश्यक होगा व उसको पालिका में निर्धारित तिथि व समय में मूल रूप में जमा कराना होगा। उपरोक्त प्रपत्र ना होने की दशा में ठेकेदार की निविदा को अवैध माना जायेगा।
3. यदि किसी कारणवश निविदा दिनांक 23.01.2018 को नहीं खोली जायेगी तो निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।
4. प्रत्येक निविदा के साथ 10 प्रतिशत धरोहर राशि की एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 कॉलम 04 में अंकित विवरण के अनुसार जो भी अधिकांसी नगर पालिका परिषद सरधना जिला मेरठ के पद नाम से बन्धक होगी, स्कैन कॉपी निविदा के साथ अपलोड करनी अनिवार्य होगी।
5. निविदा खोले जाने के समय निविदादाता की उपस्थिति वांछनीय है।
6. प्रत्येक निविदा के साथ निविदादाता को पंजीकरण प्रमाण-पत्र पंजीकरण फीस की प्रति, हैसियत प्रमाण-पत्र, चरित्र प्रमाण-पत्र, पैन नम्बर, जी0एस0टी0, पंजीकरण व श्रम विभाग के पंजीकरण की प्रतियाँ अपलोड करना अनिवार्य होगा, जिसकी एक प्रिन्टेड प्रति लिफाफे में रखकर एवं निविदा शुल्क व धरोहर राशि की एफ0डी0आर0 की मूल प्रति एक लिफाफे में रखकर लिफाफे पर कार्य नाम ठेकेदार/फर्म के नाम के साथ निविदादाता के स्पष्ट हस्ताक्षर एवं मोहर लगाकर उपरोक्त निर्धारित तिथि व समय तक नगर पालिका परिषद सरधना कार्यालय में रखें सीलड बाक्स में डालना अनिवार्य है, यदि लिफाफे पर उक्त अंकित नहीं होंगे तो लिफाफा अवैध माना जायेगा एवं ऐसी निविदा का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।
7. नगर पालिका परिषद, सरधना में निर्माण कार्य हेतु पंजीकृत ठेकेदारों का वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु नवीनीकरण हो चुका हो वही पंजीकृत ठेकेदार निविदा डालने हेतु अर्ह होंगे।
8. निविदादाता द्वारा विभागीय लागत से कम लागत की निविदा डालने की दशा में संख्या 622/23-12-2012-2 ऑडिट/09टी0सी0-2 दिनांक 08-06-2012 के अनुसार 10 प्रतिशत तक न्यून दरें प्राप्त होने पर 0.50 प्रतिशत धनराशि प्रतिशत दर तथा 10 प्रतिशत से अधिक न्यून पर 01 प्रतिशत दर पर परफॉरमेन्स गारन्टी के रूप में अतिरिक्त धनराशि जमा कराने के उपरान्त अनुबन्ध गठित किया जायेगा। निविदादाता द्वारा उक्त धनराशि जमा न किये जाने पर उनकी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
9. शासनादेश संख्या 0145/नौ-9-2013 दिनांक 10-12-2013 के द्वारा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम के अन्तर्गत ठेकेदारों पंजीयन एवं श्रमिकों के पंजीयन कराये जाने अनिवार्य होंगे। प्रत्येक निविदा कार्य का पंजीयन ठेकेदार/संस्था को कार्य आदेश प्राप्ति पर श्रम विभाग से कराकर पालिका में जमा कराना होगा।
10. अपठनीय/अस्पष्ट स्कैन कापी टैण्डर के साथ अपलोड होने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
11. प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 73385/86-2015-292:2015 दिनांक 15 अक्टूबर 2015 के अनुपालन में प्राप्त किये जाने वाले उपखनिजों पर नियमानुसार रॉयल्टी का भुगतान व अभिवाहन प्रपत्र एम0एम0-11 के आधार पर परिवाहन किये जाये, बिना वैध अभिवाहन प्रपत्र (एम0एम0-11) से किया जाता है तब प्रयुक्त उपखनिज की रॉयल्टी के साथ-साथ खनिज मूल्य (सामान्यतः रॉयल्टी का पांच गुना) की कटौती ठेकेदार के बिल से करते हुए लेखा शीर्षक में जमा करा दी जायेगी।
12. निविदा विवरण निम्न प्रारूप में उल्लेखित कार्य का अलग अलग विवरण उनकी आंगणन लागत निविदा की अर्नेस्ट मनी निविदा मूल्य तथा समय अवधि का विवरण उपरोक्त वैबसाइट पर देखा जा सकता है, विवरण के अनुसार प्रत्येक कार्य की अलग अलग निविदा आमन्त्रित है।
13. ठेकेदार/फर्म का जी0एस0टी0 में पंजीकरण अनिवार्य है तथा जी0एस0टी0 के अन्तर्गत आने वाली समस्त कटौतिया देय होगी।
14. प्रत्येक निविदा दाता निविदा देने से पूर्व उक्त सूची में अंकित कार्य के स्थल का ठेकेदार भली भाँति निरीक्षण अवश्य कर लें।
15. निविदा के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर नगर पालिका परिषद सरधना बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा।
16. शासनादेश संख्या-609/नौ-9-2007-249ज/06 दिनांक 26.02.2007 के अनुपालन में प्रत्येक पत्र के साथ 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर स्व:घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
17. निर्माण कार्य की 05 वर्षों के रख-रखाव की बाध्यता होगी।
18. उक्त निविदाएं एन0आई0सी0 की वैबसाइट www.nppsardhana.com पर देखी जा सकती है।
19. शर्तों का पूर्णतः पालन करना होगा।

(निरूपमा प्रताप)
अधिकांसी अधिकारी
20/01/2018-13 15:40
सरधना (मेरठ)